



स्टेट ऑफ इंडियाज़ बर्ड्स, 2023

प्रलिस के लयः

स्टेट ऑफ इंडियाज़ बर्ड्स, 2023, IUCN ([अंतरराष्ट्रीय परकृत संरक्षण संघ](#)), [पश्चमी घाट](#), एशियाई कोयल, [प्रवासी पक्षी](#), [जलवायु परविरतन](#)

मेन्स के लयः

भारत के पक्षियों की स्थतिरिपोरट, 2023

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में स्टेट ऑफ इंडियाज़ बर्ड्स (State of India's Birds- SoIB), अर्थात् भारत पक्षी स्थतिरिपोरट 2023 जारी की गई है, इसमें कुछ पक्षी प्रजातियों के अच्छे तरह वकिसति होने और कई पक्षी प्रजातियों में पर्याप्त गरिवट को दर्शाया गया है।

- SoIB 2023 बॉम्बे नेचुरल हसि्ट्री सोसाइटी (BNHS), वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (WII) और [जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया \(ZSI\)](#) सहति 13 सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों का अपनी तरह का पहला सहयोगात्मक प्रयास है। उक्त संगठनों व नकियों के साथ वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया (WTI), वरल्डवाइड फंड फॉर नेचर-इंडिया (WWF-इंडिया) आदि भारत में नयिमति रूप से पाए जाने वाली पक्षी प्रजातियों की समग्र संरक्षण स्थति का मूल्यांकन करते हैं।

रिपोरट में प्रयुक्त पद्धतियाँ:

- यह रिपोरट लगभग 30,000 पक्षी वजिज्ञानियों द्वारा एकत्र कयि गए आँकड़ों पर आधारति है।
- इस रिपोरट में पक्षियों की आबादी का आकलन करने के लयि तीन प्राथमकि सूचकांकों को आधार बनाया गया है:
 - दीर्घकालकि रुझान (30 वर्षों में परविरतन)
 - वर्तमान वार्षकि प्रवृत्ति (पछिले सात वर्षों में परविरतन)
 - भारतीय वतिरण क्षेत्र का आकार
 - 942 पक्षी प्रजातियों के मूल्यांकन से पता चला है कउनमें से कई प्रजातियों में सटीक दीर्घकालकि या अल्पकालकि रुझान नरिधारति नहीं कयि जा सके हैं।


रिपोरट के प्रमुख बदि:

- स्थति:
 - चहिनति दीर्घकालकि रुझानों वाली 338 प्रजातियों में से 60% प्रजातियों में गरिवट देखी गई है, 29% प्रजातियाँ स्थरि हैं तथा 11% में वृद्धि देखी गई है।
 - नरिधारति वर्तमान वार्षकि रुझान वाली 359 प्रजातियों में से 39% घट रही हैं, 18% तेज़ी से घट रही हैं, 53% स्थरि हैं और 8% बढ़ रही हैं।
- सकारात्मक रुझान: पक्षियों की प्रजातियों में वृद्धि:

- सामान्य गरिवट के बावजूद कुछ पक्षी प्रजातियों में कुछ सकारात्मक रुझान देखे गए हैं।
- उदाहरण के लिये **भारतीय मोर** जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, बहुतायत और वसतिार दोनों मामले में **उल्लेखनीय वृद्धि** देखी जा रही है।
 - इस प्रजाति ने अपनी सीमा को नए प्राकृतिक वास में वसतिारति किया है, जनिमें उच्च तुंग वाले हिमालयी क्षेत्र और **पश्चिमी घाट** के वर्षावन शामिल हैं।
- **एशियन कोयल**, हाउस क्रो, रॉक पजिन और एलेकजेंडरनि पैराकीट (Alexandrine Parakeet) को भी **उन प्रजातियों के रूप में उजागर** किया गया है **जनिहोंने वर्ष 2000 के बाद से उल्लेखनीय वृद्धि की है।**
- **वशिष्ट पक्षी प्रजाति:**
 - पक्षी प्रजातियों जो "वशिष्ट" हैं- आर्द्रभूमि, वर्षावन और घास के मैदानों जैसे **संकीर्ण आवासों तक ही सीमति** हैं, जबकि इन प्रजातियों के विपरीत वृक्षारोपण और कृषि क्षेत्रों जैसे व्यापक आवासों में नवास करने वाली प्रजातियों **तेज़ी से घट रही हैं।**
 - **"सामान्य पक्षी प्रजाति" जो कई प्रकार के आवासों में रहने में सक्षम हैं**, एक समूह के रूप में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।
 - "हालांकि, वशिष्ट प्रजाति के पक्षियों को सामान्य प्रजाति के पक्षियों की तुलना में अधिक खतरा है।
 - घास के मैदानों में वास करने वाले विशेष पक्षियों में **50% से अधिक की गरिवट आई है।**
 - **वनो में वास करने वाले पक्षियों में भी सामान्य पक्षियों की तुलना में अधिक गरिवट आई है**, जो प्राकृतिक वन आवासों को संरक्षति करने की आवश्यकता को दर्शाता है ताकि वे वशिष्ट प्रजाति के पक्षियों को को आवास प्रदान कर सकें।
- **प्रवासी और नवासी पक्षी:**
 - **प्रवासी पक्षियों**, विशेष रूप से यूरोप और आर्कटिक से लंबी दूरी के प्रवासी पक्षियों में 50% से अधिक की **सारथक कमी** देखी गई है, साथ ही कम दूरी के प्रवासी पक्षियों की संख्या में भी कमी आई है।
 - आर्कटिक में प्रजनन करने वाले तटीय पक्षी विशेष रूप से प्रभावति हुए हैं, जनिमें **लगभग 80% की कमी** आई है।
 - इसके विपरीत एक समूह के रूप में नवासी प्रजाति पक्षी अधिक स्थिर बने हुए हैं।
- **पक्षियों के आहार और संख्या में गरिवट का पैटर्न:**
 - पक्षियों की आहार संबंधी आवश्यकताओं में भी प्रचुरता देखी गई है। कशेरुक और मांसाहार खाने वाले पक्षियों की संख्या में **सबसे अधिक गरिवट आई है।**
 - डाइक्लोफेनाक (Diclofenac) से दूषति शवों को खाने से गदिध लगभग वलुपत होने की अवस्था में थे।
 - सफेद पूँछ वाले गदिधों, भारतीय गदिधों और लाल सरि वाले गदिधों को सबसे अधिक **दीर्घकालिक गरिवट (क्रमशः 98%, 95% और 91%)** का सामना करना पड़ा है।
- **स्थानिक पक्षियों और जलपक्षियों की आबादी में गरिवट:**
 - **पश्चिमी घाट** और श्रीलंका जैवविधिता हॉटस्पॉट के लिये अद्वितीय स्थानिक प्रजातियों में तेज़ी से गरिवट आई है।
 - भारत की 232 स्थानिक प्रजातियों में से कई प्रजातियों का आवास स्थानवर्षावन हैं और **उनकी गरिवट आवास संरक्षण के बारे में चिंता पैदा करती है।**
 - **बत्तख, नवासी और प्रवासी दोनों की संख्या कम हो रही है**, बेयर पोचार्ड, कॉमन पोचार्ड और अंडमान टील जैसी कुछ प्रजातियाँ विशेष रूप से असुरक्षति हैं।
 - **नदियों पर कई प्रकार के दबावों के कारण नदी के किनारे रेतीले घाँसले बनाने वाले पक्षियों की संख्या में भी गरिवट आक रही है।**
- **प्रमुख खतरे:**
 - रिपोर्ट में **वन कषरण, शहरीकरण और ऊर्जा अवसंरचना सहति कई प्रमुख खतरों पर प्रकाश** डाला गया है, जनिका सामना देश भर में पक्षी प्रजातियों को करना पड़ रहा है।
 - **नमिसुलाइड** जैसी पशु चिकित्सा दवाओं सहति **पर्यावरण प्रदूषक** अभी भी भारत में गदिध आबादी के लिये खतरा हैं।
 - **जलवायु परिवर्तन** के प्रभाव (जैसे प्रवासी प्रजातियों पर) **पक्षी रोग और अवैध शकिार तथा व्यापार भी प्रमुख खतरों में से हैं।**
- **अन्य प्रजातियाँ:**
 - लंबी अवधि में **सारस करेन की आबादी में तेज़ी से गरिवट** आई है और यह जारी है।
 - कठफोड़वा की 11 प्रजातियों, जनिके लिये स्पष्ट दीर्घकालिक रुझान प्राप्त किये जा सकते हैं, में से **सात स्थिर दिखाई देती हैं, जबकि दो की आबादी घट रही है, और दो के मामले में तेज़ी से गरिवट आ रही है।**
 - **पीले मुकुट वाले कठफोड़वा (Yellow-Crowned Woodpecker)**, जो व्यापक रूप से काँटेदार और झाड़ियों वाले जंगलों में रहते हैं, की संख्या में पिछले **तीन दशकों में 70% से अधिक की गरिवट** आई है।
 - जबकि विश्व भर में सभी बसटरड में से आधे खतरे में हैं, भारत में प्रजनन करने वाली तीन प्रजातियाँ **ग्रेट इंडियन बसटरड, लेसर फ्लोरकिन और बंगाल फ्लोरकिन** सबसे अधिक असुरक्षति पाई गई हैं।

सफिराशिन:

- **पक्षियों के वशिष्ट समूहों को संरक्षति करने की आवश्यकता** है। उदाहरण के लिये रिपोर्ट में पाया गया कि घास के मैदान संबंधी वशिष्ट प्रजातियों की संख्या में 50% से अधिक की गरिवट आई है, जो घास के मैदान के **पारस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा और रखरखाव के महत्त्व** को दर्शाता है।
- **पक्षियों की आबादी में छोटे पैमाने पर होने वाले बदलावों को समझने के लिये लंबे समय तक पक्षियों की आबादी की व्यवस्थति नगिरानी** करना महत्त्वपूर्ण है।
- **गरिवट या वृद्धि के पीछे के कारणों को समझने के लिये** और अधिक शोध की आवश्यकता स्पष्ट होती जा रही है।
- रिपोर्ट के नषिकरष पक्षियों की आबादी में गरिवट को रोकने और एक **स्वस्थ पारस्थितिकी तंत्र सुनिश्चति** करने के लिये आवास संरक्षण, **प्रदूषण को संबोधति** करने तथा **पक्षियों की आहार आवश्यकताओं को समझने के महत्त्व पर ज़ोर** देते हैं।



पारस्थितिकी तंत्र में पक्षियों की व्यवहार्य आबादी सुनिश्चित करने के लिये संभावित कदम:

- **पर्यावास संरक्षण और पुनरुद्धार:**
 - जंगलों, आर्द्रभूमियों, घास के मैदानों और तटीय क्षेत्रों जैसे प्राकृतिक आवासों की रक्षा तथा संरक्षण करना, जो पक्षियों के घोंसले, भोजन एवं प्रजनन के लिये आवश्यक हैं।
 - देशी वनस्पति लगाकर और पक्षियों की आबादी के लिये खतरा पैदा करने वाली आक्रामक प्रजातियों को हटाकर नष्ट हुए आवासों को पुनरस्थापित करना।
- **संरक्षित क्षेत्र और रज़िर्व:**
 - संरक्षित क्षेत्रों और वन्यजीव अभयारण्यों की स्थापना व प्रबंधन करना जहाँ पक्षी मानवीय हस्तक्षेप के बिना रह सकें।
 - इन क्षेत्रों में आवास वनाश और गड़बड़ी को रोकने के लिये नयिम और दशा-नरिदेश लागू करना।
- **प्रदूषण कम करना:**
 - वायु और जल प्रदूषण सहित प्रदूषण स्रोतों को नियंत्रित करना, जो पक्षियों की आबादी को सीधे या उनके खाद्य स्रोतों के संदूषण के माध्यम से नुकसान पहुँचा सकते हैं।
 - शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण को कम करने के लिये स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना।
- **जलवायु परिवर्तन को कम करना:**
 - ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करके और टिकाऊ ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देकर जलवायु परिवर्तन का समाधान करना।
 - आवास गलियारों का समर्थन करना जो पक्षियों को स्थानांतरित करने और बदलती जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल होने की अनुमति देते हैं।
- **मानवीय हस्तक्षेप को सीमित करना:**
 - घोंसले बनाने और भोजन प्रदान करने वाली जगहों पर विशेष रूप से प्रजनन के मौसम के दौरान गड़बड़ी को कम करने के महत्त्व के बारे में जनता को शिक्षित करना।
 - मानवीय हस्तक्षेप को कम करने के लिये संवेदनशील पक्षी आवासों के आसपास बफर ज़ोन स्थापित करना।

वभिन्न पक्षी प्रजातियों की सुरक्षा के लिये किये गए उपाय:

- प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिये राष्ट्रीय कार्य योजना (2018-2023)।
- बाघ, एशियाई हाथी, हमि तेंदुआ, एशियाई शेर, एक सींग वाला गैंडा और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसी प्रजातियों के संरक्षण के लिये सीमा पार संरक्षित क्षेत्र।
- **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972**
- भारत ने गदिधों के संरक्षण के लिये कई आवश्यक कदम उठाए हैं जैसे-डाइक्लोफेनाक का पशु चिकित्सा में उपयोग पर प्रतिबंध, गदिध प्रजनन केंद्रों की स्थापना आदी।